पत्रांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-16/2017............... 5249 (अ)

बिहार सरकार,

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

माननीय श्री संजय प्रसाद,
सदस्य
बिहार विधान परिषद्
एफ ब्लॉक 304+204,
दरोगा राय पथ,
पटना-800001

निबंधित

पटना, दिनांकः- 30/5/18

विषयः- बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, एवं (2) सुदेश कुमार सिंह एंड कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 जमुई द्वारा गैर अनुसूचित मद एवं अनुसूचित मद में समान राशि उद्धृत करने के फलस्वरूप निबंधन निलंबित करने के बावजूद अन्य विभागों में कार्य किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्रांक-30/का0/आ0 दिनांक-22.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि संवेदक श्री बालकृष्ण भालोटिया कंसट्रक्शन प्रा0लि0, श्री सुदेश कुमार सिंह एंड कंपनी कंसट्रक्शन प्रा0लि0, एवं अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0 लि0,जमुई द्वारा गैर अनुसूचित मद एवं अनुसूचित मद में एक समान राशि उद्धृत करने के कारण इन्हें क्रमशः इस कार्यालय के विभागीय ज्ञापांक-9146(भ0) दिनांक-11.10.2017, ज्ञापांक-9140(भ0) दिनांक-11.10.2017 एवं ज्ञापांक-9145(भ0) दिनांक-11.10.17 द्वारा एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया है। इस संबंध में भवदीय द्वारा पृच्छा किया गया है कि उक्त संवेदकों को सिर्फ भवन निर्माण विभाग के कार्यो से एक साल के लिए निलंबित किया गया है दूसरे विभाग पर यह लागू नहीं है।

इसी प्रकार के एक अन्य मामले में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्रांक-309 दिनांक-06.01.18 द्वारा पृच्छा किया गया था कि उक्त आदेश से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संवेदक का निबंधन निलंबित किया गया है तथा उक्त निलंबन अन्य विभागों के लिए प्रभावी रहेगा या नहीं।उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-298(भ0)दिनांक-10.01.18 द्वारा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचित किया गया है कि "नियमों की व्याख्या से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में यदि किसी संवेदक को विभागीय

कार्यो से निलंबित किया जाता है तो इसका प्रभाव हर विभाग पर पड़ेगा और राज्य सरकार के किसी भी विभाग में इनको कार्य आवंटित नहीं किया जा सकेगा।"

उक्त संवेदकों यथा संवेदक बालकृष्ण भलोटिया कंसट्रक्शन प्रा0लि0, को कार्यालय आदेश सं0-240 सह पठित ज्ञापांक-9146 दिनांक-11.10.2017, संवेदक सुदेश कुमार सिंह एवं कंसट्रक्शन प्रा0लि0 को कार्यालय आदेश सं0-234 सह पठित ज्ञापांक-9140 दिनांक-11.10.2017 एवं संवेदक अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0लि0 को कार्यालय आदेश सं0-239 सह पठित ज्ञापांक-9145(भ0) दिनांक-11.10.2017 को एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया है, इसका प्रभाव हर विभाग पर पड़ेगा और राज्य सरकार के किसी भी विभाग में इनको उक्त अवधि तक कार्यावंटित नहीं किया जा सकेगा।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

30/5/18

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-16/2017......5249 (भ) पटना, दिनांक- 30/5/18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/5/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

30/5/18